PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 01

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 **जनपद – कानपुर देहात।**
सत्र वाद संख्या- 1123/2024
राज्य **बनाम** माधव सिंह चौहान

नाम साक्षीः गौरी पत्नी छोटे	**अपराध संख्या- 215/2021**
उम्रः लगभग 35 वर्ष, **पेशाः गृहणी**	**धारा- 308, 354, 506 भादवि**
वर्तमान पता साक्षी - ग्राम लोहारी, थाना गजनेर, कानपुर देहात	**थाना-गजनेर कानपुर नगर।**

दिनांकः-28.01.2025

मैं **साक्षीः गौरी पत्नी छोटे, उम्रः लगभग 35 वर्ष, पेशाः गृहणी, वर्तमान पता साक्षी - ग्राम लोहारी, थाना गजनेर, कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि....

1. मेरी शादी छोटे से, आज से लगभग बीस-तीस वर्ष हुई थी, तबसे मैं ग्राम लोहारी में रहती हूँ। माधव सिंह चौहान मेरे मकान के बगल में रहते हैं और मेरे पति के चाचा के लड़के हैं। माधव सिंह किसी कंपनी में काम करते हैं।

2. आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व बरसात का समय था। मैं लगभग साढ़े आठ बजे रात को पप्पू की दुकान से अपने घर आ रही थी कि माधव सिंह

मेरे घर की दीवार से मेरे ऊपर कूद गया था और मुझसे छेड़खानी करने लगा था। मेरे मना करने पर गालीगलौज करने लगा। मैंने शोर मचाया था। तब माधव सिंह चौहान ने लकड़ी के डंडे से मेरे सिर पर वार कर दिया था जिससे मुझे गंभीर चोट आ गयी थी। मेरे शोर मचाने मेरे पति छोटे आ गये थे। माधव सिंह का भाई छोटे भी आ गया था।

3. पुलिस आ गयी थी। मुझे एंबुलेंस से इलाज के लिए रनियाँ स्थित सरकारी अस्पताल ले गयी थी। इसी अस्पताल में मेरा इलाज हुआ था। इलाज के बाद मैं घर आ गयी थी। इसके बाद अगले दिन मैंने घटना के बाबत अपने पति के मामा से तहरीर बोल-बोलकर लिखवायी थी। इसके बाद तहरीर उन्होंने मुझे पढ़कर सुनायी थी और इसके बाद मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया था। यही प्रार्थना पत्र मैंने थाने में दिया था।

साक्षी ने पत्रावली में मौजूद प्रपत्र सं०-12 तहरीर पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श P-1** अंकित किया गया।

4. पुलिस आयी थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने घटना की सारी बातें पुलिस को बता दी थीं।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त

स्थगन प्रार्थना पत्र 600/- रुपये हर्जे पर इस निर्देश के साथ स्वीकृत कि इसके पश्चात अवसर नहीं दिया जायेगा।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया।

सुनकर तस्दीक किया।